समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों मे मानदेय पर Music Instructor के सेवाआं के संबंध में।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO)
	शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	शाखा – स्था0
	दिनांक – 23.09.2026

पूर्व पृष्ठ से निरंतर.....

महोदय नस्ती के पृष्ठ कमांक 02 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें महोदया के अनुमोदनोपरांत जिले में संचालित 13 पीएमश्री विद्यालयों में मानदेय पर Music Instructor की सेवाएं लिया जाना है। इस हेतु चयन प्रकिया विस्तृत रूप से न किया जा कर Walk in Inter View के रूप में किया जा सकता है, तत् संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश एवं विज्ञापन निम्नवत है :–

–:: संगीत प्रशिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन::–

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 का क्रमांक/1978/समग्र शिक्षा/पीएमश्री/योजना/2025/रायपुर दिनांक 26.06.2026 के द्वारा पीएमश्री अंतर्गत चयनित विद्यालयों में संगीत प्रशिक्षक के लिए निश्चत एवं एकमुश्त मानदेय 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) प्रति माह की दर पर 31 मार्च 2027 तक के लिये सेवाएं लिये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी। विद्यालयवार पदो की स्वीकृति निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	स्कूल का नाम	संगीत प्रशिक्षक हेतु स्वीकृत पद संख्या	विशेष
1	सूरजपुर	पीएमश्री विद्यालय प्रेमनगर	1	स्वीकृत 01 पद पृथक–पृथक प्रत्येक पीएमश्री एवं सेजेसे विद्यालय में होने के कारण
2		पीएमश्री विद्यालय नवापारा	1	
3		पीएमश्री विद्यालय बतरा	1	
4		पीएमश्री विद्यालय रामानुजनगर	1	
5		पीएमश्री विद्यालय जयनगर	1	
6		पीएमश्री विद्यालय ओड़गी	1	
7		प्रा.शा.भटगांव कॉलरी	1	
8		प्रा.शा.राजापुर	1	
9		प्रा.शा.केश्वपुर	1	
10		प्रा.शा.महुली	1	
11		प्रा.शा.चन्दननगर	1	
12		प्रा.शा.धरमपुर	1	
13		एकलव्य विद्यालय शिवप्रसादनगर	1	

P.T.O.

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों में मानदेय पर Music Instructor के सेवाओं के संबंध में।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO)
	शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	शाखा – स्था0
	दिनांक – 23.09.2026

पूर्व पृष्ठ से निरंतर.....

महोदय नस्ती के पृष्ठ कमांक 02 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें महोदया के अनुमोदनोपरांत जिले में संचालित 13 पीएमश्री विद्यालयों में मानदेय पर Music Instructor की सेवाएं लिया जाना है। इस हेतु चयन प्रकिया विस्तृत रूप से न किया जा कर Walk in Inter View के रूप में किया जा सकता है, तत् संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश एवं विज्ञापन निम्नवत है :–

–:: संगीत प्रशिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन::–

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 का क्रमांक/1978/समग्र शिक्षा/पीएमश्री/योजना/2025/रायपुर दिनांक 26.06.2026 के द्वारा पीएमश्री अंतर्गत चयनित विद्यालयों में संगीत प्रशिक्षक के लिए निश्चत एवं एकमुश्त मानदेय 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) प्रति माह की दर पर 31 मार्च 2027 तक के लिये सेवाएं लिये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी। विद्यालयवार पदो की स्वीकृति निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	स्कूल का नाम	संगीत प्रशिक्षक हेतु स्वीकृत पद संख्या	विशेष
1	सूरजपुर	पीएमश्री विद्यालय प्रेमनगर	1	स्वीकृत 01 पद पृथक–पृथक प्रत्येक पीएमश्री एवं सेजेसे विद्यालय में होने के कारण
2		पीएमश्री विद्यालय नवापारा	1	
3		पीएमश्री विद्यालय बतरा	1	
4		पीएमश्री विद्यालय रामानुजनगर	1	
5		पीएमश्री विद्यालय जयनगर	1	
6		पीएमश्री विद्यालय ओड़गी	1	
7		प्रा.शा.भटगांव कॉलरी	1	
8		प्रा.शा.राजापुर	1	
9		प्रा.शा.केश्वपुर	1	
10		प्रा.शा.महुली	1	
11		प्रा.शा.चन्दननगर	1	
12		प्रा.शा.धरमपुर	1	
13		एकलव्य विद्यालय शिवप्रसादनगर	1	

P.T.O.

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों मे मानदेय पर Music Instructor के सेवाआं के संबंध में।	**प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO)**
	शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	**शाखा –** स्था0
	दिनांक – 23.09.2026

भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	स्कूल का नाम	संगीत प्रशिक्षक हेतु स्वीकृत पद संख्या	वर्गवार पद				
			अजा.	अजजा	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित	योग
1	पीएमश्री सेजेस विद्यालय प्रेमनगर	1	–	–	–	1	1
2	पीएमश्री सेजेस विद्यालय नवापारा	1	–	–	–	1	1
3	पीएमश्री सेजेस विद्यालय बतरा	1	–	–	–	1	1
4	पीएमश्री सेजेस विद्यालय रामानुजनगर	1	–	–	–	1	1
5	पीएमश्री सेजेस विद्यालय जयनगर	1	–	–	–	1	1
6	पीएमश्री सेजेस विद्यालय ओड़गी	1	–	–	–	1	1
7	पीएमश्री प्रा.शा.भटगांव कॉलरी	1	–	–	–	1	1
8	पीएमश्री प्रा.शा.राजापुर	1	–	–	–	1	1
9	पीएमश्री प्रा.शा.केश्वपुर	1	–	–	–	1	1
10	पीएमश्री प्रा.शा.महुली	1	–	–	–	1	1
11	पीएमश्री प्रा.शा.चन्दननगर	1	–	–	–	1	1
12	पीएमश्री प्रा.शा.धरमपुर	1	–	–	–	1	1
13	पीएमश्री एकलव्य विद्यालय शिवप्रसादनगर	1	–	–	–	1	1

उपरोक्तानुसार संगीत प्रशिक्षक के पद 31 मार्च 2027 तक के लिए अस्थाई रूप से सेवाये लिया जाना है। इस हेतु दिनांक 07.12.2026 को Walk in Inter View का आयोजन किया गया है। आवेदक उपर्युक्त दिनांक को निर्धारित समयनुसार समस्त दस्तावेंजो के साथ उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। भर्ती एवं पात्रता की शर्ते एवं आवश्यक शैक्षणिक अहर्ताएं संबंधी विस्तृत जानकारी https://surajpur.nic.in में प्राप्त की जा सकती है।

संगीत प्रशिक्षक की नियुक्ति की न्युनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं :–

1. संगीत प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है।
2. संगीत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के अनुभवी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
3. छ0ग0 राज्य के निवासी ही पात्र होंगे।
4. आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष निर्धारित है। (शासन के नियमानुसार प्राप्त उम्मीदवारों के आयुसीमा में छुट प्रदान की जायेगी।)
5. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

P.T.O. 01

उन्नत शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों मे मानदेय पर Music Instructor के सेवाओं के संबंध में।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO)
	शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026	शाखा – स्था0
2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	दिनांक – 23.09.2026

नियम एवं शर्तें :–

01. आवेदक को प्रत्येक पीएमश्री एवं सेजेस स्कूल हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
02. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 31मार्च 2027 तक के लिए अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात भारत सरकार द्वारा आगामी सत्र के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को निरंतर/नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।
03. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नही होगा।
04. चयनित उम्मीदवार को उक्त अनुबंध कराकर हस्ताक्षर करना होगा और अनुबंध के उल्लघंन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नही दी जायेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
05. आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
06. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना होगा। अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचनी नही दी जावेगी।
07. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में संगीत प्रशिक्षक को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। विवाद होने पर निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
08. प्रशिक्षकों को किसी भी प्रकार का नियुक्ति/संविदा नियुक्ति का आदेश जारी नही किया जायेगा। केवल कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा।
09. इस पद हेतु एकमुश्त अधिकतम मानदेय रू. 10000/– (दस हजार रू.) मात्र प्रतिमाह दिया जायेगा। इसकी अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।
10. आवेदको को आवेदन के साथ इस आशय का 10 रूपये मूल्य के स्टॉप पर शपथ पत्र देना होगा की आवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र सत्य एवं सही हैं।

आवेदन की प्रक्रिया :–

01. भर्ती एवं पात्रता की शर्ते आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं योग्य शैक्षणिक अर्हताएं योग्य इच्छुक अभ्यर्थी जिला केन्द्र NIC सूरजपुर के वेबसाईट https://surajpur.nic.in आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिंट प्राप्त कर सकते है।
02. आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
03. पासपोर्ट साईज फोटो निर्धारित स्थान पर स्व–प्रमाणित चस्पा करें।

P.T.O. 02

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों मे मानदेय पर Music Instructor के सेवाओं के संबंध में।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO) शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	शाखा – स्था0 दिनांक – 23.09.2026

04. शैक्षणिक योग्यता (10वी, 12वीं, संगीत में स्नातक, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य) को स्व–प्रमाणित कर संलग्न करेंगे।
05. छ0ग0 का मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
06. संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
07. अपूर्ण आवेदन/निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।

चयन की प्रक्रिया :–

01. निर्धारित न्यूनतम योग्यता संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री का 80 प्रतिशत।
02. संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव एक वर्ष का 03 अंक एवं अधिकतम 15 अंक।
03. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संगीत प्रमाण पत्रों का अधिकतम 5 अंक।
04. आवेदन हेतु निर्धारित समय के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट एवं चयन सूची बिन्दु 1, 2 एवं 3 के आधार पर तैयार की जायेगी।
05. स्कूलवार आवेदन अनुसार दस्तावेज सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर चयनित पीएमश्री स्कूल जिसके लिए अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
06. जिले के पीएमश्री विद्यालयों में पृथक–पृथक संगीत प्रशिक्षक की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2027 तक के लिए नियुक्ति किया जायेगा।
07. **Walk in Inter View** की समय सारणी :–

क0	प्रकिया का नाम	संभावित समय	विशेष
1	उम्मिदवारो से आवेदन पत्र लेना	11:30 बजे से 01 बजे तक	प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा
2	आवेदन पत्रों की जांच	01 बजे से 02 बजे तक	चयन समिति द्वारा
3	पात्र–अपात्र सुची का प्रकाशन	02 बजे से 03 बजे तक	चयन समिति द्वारा
4	दावा आपत्ती का प्रकाशन	03 बजे से 03:30 बजे तक	चयन समिति द्वारा
5	दावा आपत्ती का निराकरण	03:30 बजे से 04 बजे तक	चयन समिति द्वारा
6	वरियता सुची का प्रकाशन	04:30 बजे	चयन समिति द्वारा
7	चयन सुची का प्रकाशन	05 बजे से 06 बजे तक	चयन समिति द्वारा

P.T.O. 03

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों मे मानदेय पर Music Instructor के सेवाओं के संबंध मे।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO)
	शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	शाखा – स्था0
	दिनांक – 23.09.2026

निरर्हताएं :–

01. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हे शासन द्वारा पृथक किया गया है अथवा सेवावृद्धि रोकी गई है। आवेदन हेतु अपात्र होंगे।
02. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक की उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकती हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये परन्तु आपराधिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
03. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, वह किसी सेवा या पद के लिए पात्र नही होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

संगीत प्रशिक्षक का कार्य दायित्व :–

1. सेवा प्रदत्त द्वारा पीएमश्री एवं सेजेस विद्यालय में बच्चों को संगीत के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. पीएमश्री एवं सेजेस विद्यालय में प्राचार्य द्वारा तय समय–सारणी अनुसार बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. योजना एवं किये गये कार्य विवरण का दैनिक डायरी बनाना एवं संबंधित विद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराना।
4. विद्यालय प्रमुख द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना तथा सौपें गये उत्तर दायित्वों का नियोजना करना।
5. समग्र शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल में प्रशिक्षण कार्य जैसे संगीत प्रशिक्षण दिया जाना।
6. प्रत्येक माह प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षण का फोटोग्राफ/समाचार कतरन आदि का दस्तावेजीकरण करना।
7. इसके अतिरिक्त समय–समय पर राज्य जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

अस्तु महोदय के समक्ष उपर्युक्त पदों पर Music Instructor की सेवाएं लिये जाने हेतु Walk in Inter View के लिये नस्ती अवलोकनार्थ एवं पत्र प्रारूप हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है।

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों मे मानदेय पर Music Instructor के सेवाआं के संबंध में।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क/2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क/3018 दिनांक 08.08.2026	शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO) शाखा – स्था0 दिनांक – 23.09.2026

प्रस्तुत,

महोदया कृपया संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार पीएमश्री योजना 2026–27 अंतर्गत जिले में संचालित सभी 13 पीएमश्री विद्यालयों में मानदेय पर संगीत प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। संगीत प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जावेगा। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, रायपुर से संगीत प्रशिक्षक के चयन हेतु शर्ते निम्नवत् हैं :–

1. संगीत प्रशिक्षक के चयन हेतु गठित चयनित समिति का कलेक्टर महोदया के द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होगा।
2. प्रशिक्षकों का चयन कलेक्टर महोदया के द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाना है।
3. संगीत प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभवी को प्राथमिकता दिया जावेगा।
4. संगीत प्रशिक्षकों का चयन इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2027 तक) ही रहेगा। इसके बाद सेवाएं स्वतः समाप्त माना जावेगा।
5. संगीत प्रशिक्षक पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
6. प्रशिक्षकों को किसी भी प्रकार का नियुक्ति/संविदा नियुक्ति का आदेश जारी न करें, केवल कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी करें।
7. विषय वस्तु विशेषज्ञ आमने–सामने साक्षात्कार पैनल में होने चाहिए।
8. प्रशिक्षकों के चयन पश्चात शालावार जानकारी निर्धारित प्रारूप में दी जायेगी।
9. सेवा प्रदत्त संगीत प्रशिक्षकों को एक मुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह 10,000/– देय होगा।
10. सेवा प्रदाता द्वारा पीएमश्री विद्यालयों में बच्चों को संगीत के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
11. पीएमश्री विद्यालयों में मानदेय पर सेवा प्रदत्त संगीत प्रशिक्षकों को मानदेय Music Instructor के उपमद से होगा।
12. सेवा प्रदत्त संगीत प्रशिक्षकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु शाला द्वारा आबंटित किया जाना है।
13. पीएमश्री विद्यालय के लिये उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/प्रधानपाठक को जिम्मेदारी दी जानी है।
14. शाला के समय सारणी में संधारित रहेगा। सेवा प्रदत्त का समय संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधानपाठक तय करेंगे।

P.T.O.

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा (RMSA) जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों में मानदेय पर Music Instructor के सेवाओं के संबंध में।	प्रभारी अधिकारी– श्री अशोक सिन्हा (DEO) शाखा प्रभारी–श्री चन्द्रपाल कुशवाहा (ADPO)
संदर्भ :– 1. राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क्र / 2007 दिनांक 26.06.2026 2. राज्य परियोजना कार्यालय का संशोधित पत्र क्र / 3018 दिनांक 08.08.2026	शाखा – स्था0 दिनांक – 23.09.2026

पूर्व पृष्ठ से निरंतर.....

15. योजना और किये गए कार्य का विवरण दैनिक डायरी बनाए रखें जिसे स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
16. विद्यालय प्रमुख द्वारा समय–समय पर दिये गए निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों को नियोजन करना होगा।

अर्हता अनुसार सेवाएं लेने हेतु कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदन से एक समिति का गठन कर योग्य प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। समिति में निम्नानुसार सदस्य प्रस्तावित हैं :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष
2. जिला मिशन समन्वयक – सदस्य
3. संबंधित विद्यालय के प्राचार्य – सदस्य
4. प्रभारी पीएमश्री – सदस्य
5. प्रधानपाठक – सदस्य

अस्तु महोदया के समक्ष नस्ती अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

DMD Mam/DPD Sir/DEO Sir

संगीत प्रशिक्षक के चयन हेतु समग्र शिक्षा रायपुर के निर्देशानुसार समिति ~~गठन~~ गठन कर चयन किया जाना है नोट शीट अवलोकन कर सहमत होने पर अनुमोदन हेतु सादर।

23.9.26
ADPO

सईओं सर (DPD)

23/9.

नस्ती दिनांक 12.11.26 को प्रस्तुत।

→ उपरोक्तानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

→ तदनुसार नस्ती अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।

कले. महो.
LEO ZP

12.11.26
16/11/26